

2018/01501

APP-A  
crim-1

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

हुक्म शुम्बली

(नियम-26)

अज अदालत उपखण्ड इलाहाबाद नियम मूला (म) हुक्म शुम्बली (म) अज  
 1. कुशाग्र, हुस्का (म) पि. इलाहाबाद बनाम शुम्बली  
 किस्म मुकदमा RLRA-136 नं. 70/ सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

25/6/18 प्लावली राजस्व लोक अदालत के मय शुम्बली में पेश हुई। दोनों पक्षकार उपस्थित। दोनों पक्षकार ने निवेदन किया की ग्राम रोडवा कला के ख. नं. 200/80 रकबा 50-14, ख. नं. 211/80 रकबा 25-05, ख. नं. 209/80 रकबा 70, ख. नं. 80 रकबा 50-14, ख. नं. 210/80 उक्त खसरा में तरपीत लक्ष ट्रेल में है जो जमाबंदी में दर्ज रकबा में मिला नहीं रहा रही है। अपील पक्षकार ने निवेदन किया की जमाबंदी अनुगत खसरा का रकबा लक्ष ट्रेल में रकबे के अनुसार दर्ज करने का निवेदन किया है। हमने प्राचीन पत्र में संलग्न श्लोका का अनुक्रम किया तथा राजीनामा प्राप्त के तिरपी इलाका का अनुक्रम किया, लातेदार पक्षकार ने अपने जमाबंदी में दर्ज रकबा अनुगत लक्ष ट्रेल में कुल का निवेदन किया व साथ में

लक्ष ट्रेल  
 हुक्म शुम्बली  
 मूला (म)  
 2018/01501  
 हुक्म शुम्बली

(मागीरथ राम)  
 गीवासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट केम. 2018  
 उपखण्ड अधिकारी

सहकारी दुकाली व्यापक जाहिर की  
 का शता प्राप्ति का उपरि पत्र  
 स्वीकार कर आदेश दिया जाता  
 है कि पूर्व में <sup>किसी</sup> <sup>की</sup> <sup>जमी</sup> <sup>तरीक</sup> <sup>मिसल</sup> <sup>की</sup> <sup>जामर</sup> <sup>है</sup>  
 हो गाम रोडवा सला के ख. नं  
 २०८/८० रकबा ५०.१५, ख. न. २११/८५.

रकबा २५-०६, ख. न. २०९/८० रकबा  
 ५० बीघा, ख. न. ८० रकबा ५०-१५ बीघा  
 ख. न. २१०/८० रकबा २५-०६ बीघा जो  
 जमाखती में दर्ज है, के अनुसार  
 दुकाल ससरे का रकबा लूटा ट्रेण  
 में रेखांकित लाल रखाही से किया  
 जाये के आदेश लहालीदार पंचपदरा  
 को जारी है।

माननी मैजिस्ट्रेट सुभाष कुमार  
 दारिज इफतर हो  
 निजी सम्पत्ति लोक अदालत  
 केम थुम्हाली को सुनाया गया।

(भागीरथ राम)  
 पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट केम-२०११  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
 बालोतरा केम.....  
 थुम्हाली